

दिनाँक 19.06.2024

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 165/24 धारा 323/308/506 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

#### संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 17.06.2024 को थाना बिनौली पर वादी अश्वनी पुत्र उदयवीर निवासी ग्राम जौहडी थाना बिनौली जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्तों 1-ऋषभ उर्फ छोटू पुत्र रविन्द्र, 2-अंकित पुत्र संजय, व 3-कन्हैया पुत्र देवेन्द्र निवासीगण



ग्राम जौहडी थाना बिनौली जनपद बागपत ने उसके साथ लाठी-डन्डो से मारपीट की। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया तथा जान से मारने की धमकी दी। इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 165/24 धारा 323/308/506 भादवि पंजीकृत किया गया।

#### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं) 165/24 धारा 323/308/506 भादिव में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है ए i अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-</u>

ऋषभ उर्फ छोटू पुत्र रविन्द्र निवासी ग्राम जौहडी थाना बिनौली जनपद बागपत।

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-निरीक्षक अपराध श्री ओमप्रकाश आर्य थाना बिनौली जनपद बागपत।
- 2-है0का0 525 दीपक भाटी थाना बिनौली जनपद बागपत।
- 3-का0 23 अजयपाल थाना बिनौली जनपट बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत थाना बिनौली

दिनाँक 19.06.2024

थाना बिनौली पुलिस ने जिलाबदर 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

#### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा जिलाबदर होने के उपरान्त भी मा0 न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए जिलाबदर की अवधि में जनपद की सीमा के अन्दर पाये जाने पर



जिलाबदर 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

# गिरफ्तार जिलाबदर अभियुक्त का नाम व पता-

राजीवर पुत्र ब्रह्म निवासी ग्राम ग्वाली थाना बिनौली जनपद बागपत।

#### गिरफ्तार जिलाबदर अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 428/08 धारा 323/324/504/506/307 भादवि थाना बिनौली जनपद बागपत । 2-मु0अ0सं0 425/14 धारा आबकारी अधिनियम थाना बिनौली जनपद बागपत । 3-मु0अ0सं0 308/15 धारा 323/452/504/506 भादवि थाना बिनौली जनपद बागपत। 4-मु0अ0सं0 102/16 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना बिनौली जनपद बागपत। 5-मु0अ0सं0 129/17 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बिनौली जनपद बागपत। 6-मु0अ0सं0 303/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना बिनौली जनपद बागपत। 7-मु0अ0सं0 50/21 धारा 3/60 आबकारी अधिनियम थाना बिनौली जनपद बागपत। 8-मु0अ0सं0 216/23 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना बिनौली जनपद बागपत।

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-निरीक्षक अपराध श्री ओमप्रकाश आर्य थाना बिनौली जनपद बागपत।
- 2- है0का0 261 अख्तर अली थाना बिनौली जनपद बागपत।
- 3- का0 1024 उपेन्द्र कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत।





### प्रेस नोट जनपद बागपत थाना दोघट

दिनाँक:-19.06.2024

थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 198/2024 धारा 147/148/149/323/352/307/504/506 भादवि से सम्बन्धित 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस बरामद।

#### संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 18.06.2024 को थाना दोघट पर वादी रिजवान पुत्र रहीसू निवासी कस्बा टीकरी थाना दोघट जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्तों 1-शुभम पुत्र सेवाराम, 2- राहुल पुत्र सोहनपाल, 3- धर्मेन्द्र पुत्र रामपाल, 4- हर्ष पुत्र पवन, 5-अमित पुत्र सुखवीर व 6- रामू पुत्र किरणपाल निवासीगण



करबा टीकरी थाना दोघट जनपद बागपत ने उसके व उसके भाई शाहरूख तथा उसके चचेरे भाई आसिफ व शोएब पुत्रगण दिलशाद के साथ गाली-गलौच करते हुए लाठी- उन्डो से एक राय होकर हमला कर दिया तथा जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया जिससे उसका भाई शाहरूख व उसका चचेरा भाई आसिफ गंभीर रूप से घायल हो गया तथा जान से मारने की धमकी दी। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना दोघट पर मु0अ0सं0 198/2024 धारा 147/148/149/323/352/307/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया।

#### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 198/2024 धारा 147/148/149/323/352/307/504/506 भादिव से सम्बन्धित 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट – उपरोक्त अभियोग में विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य के आधार पर धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी है।

## गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-शुभम पुत्र सेवाराम निवासी करूबा टीकरी थाना दोघट जनपद बागपत।
- 2-राहुल पुत्र सोहनपाल निवासी करूबा टीकरी थाना दोघट जनपद बागपत।
- 3-धर्मेन्द्र पुत्र रामपाल निवासी करूबा टीकरी थाना दोघट जनपद बागपत।

#### बरामदगी का विवरण-

• घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस।

# गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री हरवीर सिंह निवासी करूबा टीकरी थाना दोघट जनपद बागपत।

2-का0 413 आकाश सैनी निवासी करूबा टीकरी थाना दोघट जनपद बागपत।

3-का 876 कैलाश सिंह निवासी कस्बा टीकरी थाना दोघट जनपद बागपत।

4-का0 1055 सुचेन्द्र कुमार निवासी करूबा टीकरी थाना दोघट जनपद बागपत।

5-एचजी 419 दिनेश राठी निवासी करूबा टीकरी थाना दोघट जनपद बागपत।



### प्रेस नोट जनपद बागपत थाना खेळडा

दिनाँक 19.06.2024

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 181/24 धारा 392 भादवि का सफल अनावरण करते हुए 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से लूटे हुए 3000 रूपये नगद, 01 मोबाईल फोन, 01 आधार कार्ड तथा घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाईकिल प्लैटिना बिना नम्बर प्लेट, 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस व 01 अवैध चाकू बरामद।

#### संक्षिप्त विवरण-

विनांक 18.06.2024 को थाना खेकडा पर वादी गुलफाम पुत्र वकील निवासी मौहल्ला माता कॉलोनी करूबा बागपत व थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ने सूचना दी कि नहर रास्ता मुबारिकपुर पुलिया के पास मोटर साईकिल सवार 03 अज्ञात व्यक्तियों ने वादी की पत्नी से 01 मोबाईल फोन, 01 आधार कार्ड व 3000 रुपये छीन लिये हैं । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 181/24 धारा 392 भादवि पंजीकृत किया गया





#### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं लूटेरे/चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 181/24 धारा 392 भादिव का सफल अनावरण करते हुए 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से लूटे हुए 3000 रूपये नगद, 01 मोबाईल फोन, 01 आधार कार्ड तथा घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाईकिल प्लैटिना बिना नम्बर प्लेट, 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस व 01 अवैध चाकू बरामद हुआ है।

नोट-उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर धारा 411 भादवि की वृद्धि कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-शोएब पुत्र यामीन निवासी करूबा रटौल थाना खेकडा जनपद बागपत।
- 2-फुरकान पुत्र यासीन निवासी करबा रटौल थाना खेकडा जनपद बागपत।
- 3-मेहरान पुत्र मोबीन करूबा रटौल थाना खेकडा जनपद बागपत।

#### बरामदगी का विवरण-

- 01 मोबाईल फोन।
- 01 आधार कार्ड।
- 3000 रूपये नगद।
- घटना में प्रयुक्त मोटरसाईकिल प्लैटिना बिना नम्बर प्लेट।
- घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमन्चा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर।
- घटना में प्रयुक्त 01 अवैध चाकू।

### गिरफ्तार अभियुक्त शोएब का आपराधिक इतिहास -

- 1-मु0अ0सं0 181/24 धारा 392/411 भादवि थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 2-मु0अ0सं0 मु0अ0सं0 182/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना खेकडा जनपद बागपत।
- 3-मु0अ0सं0 132/24 धारा 380/411 भादवि थाना लोनी जनपद गाजियाबाद।

## गिरफ्तार अभियुक्त फूरकान का आपराधिक इतिहास -

1-मु0अ0सं0 181/24 धारा 392/411 भादवि थाना खेकडा जनपद बागपत।

### गिरफ्तार अभियुक्त मेहरान का आपराधिक इतिहास -

- 1-मु0अ0सं0 181/24 धारा 392/411 भादवि थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 2-मु0अ0सं0 मु0अ0सं0 182/24 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना खेकडा जनपद बागपत।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 मुकेश कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
- 2-उ0नि0 यूटी पंकज कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
- 3-है0का0 53 रविन्द्र कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत।
- 4-का० 789 योगेन्द्र कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत।



थाना बडौत

दिनाँक-19.06.2024

थाना बडौत पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

#### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांरटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा 02 वांरटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



### गिरफ्तार वांरटी/अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-असगर पुत्र हमीद अली निवासी बडौली थाना बडौत जनपद बागपत।
- 2-नफीस पुत्र शफी उर्फ शेर मौहम्मद निवासी जलालपुर थाना बडौत जनपद बागपत।

# गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री आशीष कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
- 2-उ0नि0 श्री राकेश कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
- 3-है0का0 226 धर्मेन्द्र सिंह थाना बडौत जनपद बागपत।
- 4-का0 1070 नरेश कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।

